स्पाइसेस बोर्ड

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)

ई एल -184,टी टी सी इंडस्ट्रियल एरिया

एम आई डी सी, महापे, नवी मुंबई -400 710

टेली नं. 022-27630035,27630036,27630037,27630038

इ-मेइल: sbromumbai@gmail.com

सं.एस बी /आर ओ/ एम यू एम/डीआईएस/असेट्स/2017 2 जनवरी 2018

निविदा सूचना

स्पाइसेस बोर्ड की दो फ्लैट, ' जैसे है और जहां है ' की स्थिति में दो साल या आपसी सहमति के आधार पर उससे अधिक की समयावधि केलिए मासिक किराया आधार पर पट्टे पर लेने में रुचि रखनेवालों से, संलग्न अनुलग्नक-I में विनिर्दिष्ट निबंधनों व शर्तों के अनुसार, मोहरबंद निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं ।

निविदा प्रस्तुत करने का स्थान	स्पाइसेस बोर्ड, ई एल -184, टी टी सी इंडस्ट्रियल एरिया, एम आई डी सी, महापे, नवी मुंबई-400 710
निविदा की अंतिम तिथि और समय	28/02/2018 , सायं 5.00 बजे
निविदाएँ खोलने की तिथि और समय	06/03/2018 , सुबह 11.00 बजे
कोट किए जाने वाले मूल्य	फ्लैट 1 : फ्लैट 2 :
संपर्क व्यक्ति	श्री एस.सुरेष, सहायक निदेशक टेली नं. 022-27630035/37/38
मिलने का समय	फ्लाट देखने में रुचि रखनेवाले कार्यालय-समय के दौरान ऑफिस आ सकते हैं
निविदा फॉर्म	कोई विनिर्दिष्ट फॉर्म नहीं है। अँग्रेजी में साफ टाइप की हुई निविदा प्रस्तुत करें
फ्लैट का स्थान और पता	बैंकिंग कॉम्प्लेक्स-II, तीसरा व चौथा तल,सेक्टर -19 ए , तुर्भे, वाशी, नवी मुंबई - 400703

ह/-

प्रभारी अधिकारी

अनुलग्नक-I

निबंधन व शर्तें

1. अँग्रेजी में साफ टाइप की हुई, सभी पन्नों पर विधिवत् हस्ताक्षरित निविदा *" मासिक किराया आधार पर फ्लैट को पट्टे पर लेने केलिए निविदा "* उपरिलिखित मोहरबंद लिफाफे में 'प्रभारी अधिकारी, प्रादेशिक कार्यालय, स्पाइसेस बोर्ड, ई एल -184, एम आई डी सी, टी टी सी इंडस्ट्रियल एरिया, महापे, नवी मुंबई - 400 710 को प्रस्तुत की जानी चाहिए।
2. निविदा स्वीकार करने की अंतिम तरीख व समय **-28/02/2018 को सायं 5.00 बजे ।**
3. प्रस्ताव में प्रत्येक फ्लैट के लिए अपनी-अपनी मासिक किराया-दर होनी चाहिए।
4. सफल किरायेदार स्पाइसेस बोर्ड को जमा-अग्रिम के रूप में मासिक किराए के 6 गुने का भुगतान करेगा और बोर्ड, मकान खाली करते समय किसी नुकसान के खर्च की कटौती करने का अधिकार रखता है।
5. दखल की गई फ्लाट के लिए पानी व बिजली का चार्ज किरायेदार द्वारा चुकाया जाएगा।
6. मकान की कोई भी मरम्मत या सुधार स्पाइसेस बोर्ड, मुंबई से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात ही किया जाना चाहिए।
7. सामान्य टूट-फूट से अलग कोई क्षति हुई है तो, मकान खाली करते समय किरायेदार उसका भुगतान करने केलिए बाध्य है।
8. अपूर्ण रूप से प्राप्त निविदाएँ निरस्त की जाएंगी।
9. बोलीदाताओं द्वारा हस्ताक्षर नहीं की गई और अन्य किसी कारणवश त्रुटिपूर्ण पाई जाने वाली निविदाएँ निरस्त होने केलिए बाध्य रहेंगी।
10. निविदा में कोट किए गए प्रस्ताव निविदा के खोलने की तारीख से लेकर 30 दिनों तक विधिमान्य रहेंगे।
11. विवाद की स्थिति में, अध्यक्ष, स्पाइसेस बोर्ड, कोचीन का निर्णय अंतिम रहेगा और सभी बोलीदाताओं पर बाध्यकारी होगा।
12. यहाँ सूचीकृत सभी शर्तें बोलीदाताओं पर बाध्यकारी हैं और इसके संकेत के रूप में, बोलीदाता को निविदा के सभी पन्नों पर हस्ताक्षर करना है।
13. सभी लागू कर आदि , किराएदार द्वारा चुकाए जाएंगे।
14. सभी प्रकार का भुगतान ' सचिव , स्पाइसेस बोर्ड ' के नाम पर लिए गए, एरणाकुलम में देय आदाता खाता डिमांड ड्राफ्ट के रूप में किया जाना है।
15. यदि कोई सफल बोलीदाता नियत तारीख को जमा-राशि जमा करने से चूक जाता है तो, स्पाइसेस बोर्ड वह निविदा रद्द कर सकता है और उसपर कोई दावा स्वीकार्य नहीं होगा।
16. रुचि रखनेवाले, प्रभारी अधिकारी से संपर्क करने के बाद कार्यालय-समय के दौरान फ्लैट देख सकते हैं। वे ऐसे सभी जोखिमों , आकस्मिकताओं व अन्य परिस्थितियों , जो अपनी निविदा पर अनुकूल / प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं, के बारे में जानकारी अपने आप लेंगे।
17. स्पाइसेस बोर्ड, किसी या सभी प्रस्तावों को कोई भी कारण, चाहे जो कुछ भी हो, बताए बिना निरस्त करने का अधिकार रखता है।